(वाद संख्या–2111/18)

06.04.2021

नोटिस के बावजूद परिवादी, अजय कुमार ओझा, अनुपस्थित है।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी के पट्टीदार द्वाराघर में घुसकर उसके माता–पिता के साथ गाली–गलौज व मारपीट कर परिवादी के माँ के गले से सोने का चैन छिनने व पुलिस द्वारा रिश्वत लेकर परिवादी की शिकायत को दर्ज नहीं करने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, छपरा के प्रतिवेदनानुसार परिवादी का अपने पट्टीदार से भूमि विवाद है तथा इसी भूमि विवाद के आलोक में परिवादी के पिता के लिखित आवेदन के आधार पर मुफ्फसिल (छपरा) थाना कांड संख्या–114/18, दिनांक–13.03.2018 संस्थित किया गया जिसमें अनुसंधानोपरान्त दोनों प्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध भा0द0सं0 की धाराओं, 341/ 323/ 308/ 504/34 के अन्तर्गत आरोप–पत्र समर्पित कर दिया गया। अपने प्रतिवेदन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा यह उल्लेखित किया गया है कि परिवादी की माँ के गले से सोने का चैन छिनने तथा पुलिस को रिश्वत देने का जो आरोप उनके परिवाद–पत्र में उल्लिखित है, यह आरोप उनके वकील द्वारा मामले को गंभीर बनाने के उद्देश्य से बेवजह उल्लिखित कर दिया गया है।

आज परिवादी को राज्य आयोग के समक्ष उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत किया गया, लेकिन आज न तो परिवादी राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और न ही उनकी ओर से अपनी अनुपस्थिति का कोई कारण ही दर्शाया गया है।

अब, जबकि उपरोक्त कांड में पुलिस द्वारा अनुसंधानोपरान्त आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है तथा मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में राज्य आयोग

के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले में कोई निर्देश/आदेश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिवादी अगर आवश्यक समझें तो संबंधित न्यायालय में विधिनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के प्रतिवेदन के आलोक में आयोग के स्तर पर इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**सदस्य**

निबंधक